



2026:AHC-LKO:41293

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या - 729 वर्ष 2026

अभिजीत वर्मा उर्फ अंबुज

.... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह

लखनऊ एवं 3 अन्य

.... उत्तरदाता (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आर० बी० एस० राठौर , अनुराग सिंह राठौर
 उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-12

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. 09/06/2026 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

“1. आवेदक/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि घायल 15 दिनों तक जीवित रहा लेकिन विवेचक ने कथित घायल (मृतक) अर्थात् राम खिलावन का बयान दर्ज नहीं किया है और प्रति शपथपत्र में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. संबंधित विवेचक एक सप्ताह की अवधि के भीतर संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करेगा। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली तारीख तक घायल (मृतक) की चोट आख्या अभिलेख पर लाने का निर्देश दिया जाता है।

3. इस मामले को 17.06.2026 को नवीन मामलों की सूची में प्रस्तुत किया जाए।”

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि विवेचक दिनांक 09/06/2026 के आदेश के अनुपालन में अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल नहीं कर सका लेकिन उसने इस आशय की आख्या प्रस्तुत की है कि घटना दिनांक 07/12/2025 को लगभग 5:30 बजे सायं हुई जिसमें घायल मृतक राम खिलावन के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भेजा गया जहां से उसे एस० आर० एम० चिकित्सालय प्रयागराज भेजा गया। उसका बयान एस० आर० एम० चिकित्सालय प्रयागराज में लिया गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचनाकर्ता ने अपने बयान में कहा है कि उसका भाई घायल राम खिलावन अभी तक होश में नहीं आया है और पंच साक्षी राम नारायण पुत्र राम आधार द्वारा भी इसी आशय का बयान दिया गया कि घायल बोलने की स्थिति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में नहीं था और न ही बिस्तर से उठने की स्थिति में था। घायल का उपचार करने वाले चिकित्सक यतीन्द्र शुक्ला ने भी कहा है कि घायल को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसे कोमा की अवस्था में चिकित्सालय लाया गया था। सूचनाकर्ता ने कहा है कि उक्त कारण से घायल मृतक राम खिलावन का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। आरोप पत्र दिनांक 24/02/2026 को दाखिल किया गया और काफी प्रयासों के बाद चिकित्सक से पूरक शपथपत्र प्राप्त किया गया जिसका उल्लेख केस डायरी के पूरक पर्चे में किया गया है।

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ की दिनांक 17/03/2026 की आख्या के अनुसार उत्तरदाता संख्या 2 से 4, परिवादी को सूचना व्यक्तिगत रूप से तामील करा दी गई है लेकिन उनकी ओर से आपति दाखिल करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

5. पक्षकारों के बीच अभिवचनों का आदान-प्रदान किया गया है।

6. यह दांडिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(2) के अंतर्गत, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 348 वर्ष 2025 से उद्भूत जमानत आवेदन संख्या 229/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2), 115(2), 352, 109(1), 103(1) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1) द, 3(1) ध, 3(2)वक , 3(2)v, थाना कोतवाली देहात, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, अपीलकर्ता को जमानत देने से इंकार कर दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार घटना दिनांक 07.12.2025 को 05.30 बजे सायं घटित होना कही गई है जब परिवादी के भाई राम खिलावन ने अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त द्वारा एक ऐसे स्थान पर शराब पीने की गतिविधियों पर आपत्ति की जिसका उपयोग ग्राम की महिलाओं द्वारा अपने निजी प्रयोजन के लिए किया जाता था। यह आरोप है कि उनकी गतिविधियों पर आपत्ति किए जाने पर अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त ने उक्त राम खिलावन के साथ मारपीट की जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यद्यपि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था फिर भी एक अन्य नामित अभियुक्त अंकित पटेल उर्फ गुलई की संलिप्तता विवेचना के दौरान प्रमाणित नहीं की जा सकी और आरोप पत्र में उसका नाम हटा दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक को गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त अंकित पटेल उर्फ गुलई पर लगाया गया है। तथापि सूचनाकर्ता ने धारा 161 दं० प्र० सं० के अंतर्गत दिए गए बयान में दो नामित अभियुक्तों के साथ जय सिंह पटेल, अजय कुमार वर्मा और किसी अज्ञात व्यक्ति को भी हमलावर के रूप में आरोपित किया है। इसी प्रकार, चश्मदीद साक्षी राम आश्रय सरोज ने भी धारा 161 दं० प्र० सं० के अंतर्गत दिए गए बयान में सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति को भी हमलावर के रूप में आरोपित किया है जबकि तीन अभियुक्तों अर्थात् अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त अजय कुमार वर्मा और जय सिंह पटेल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। घायल राम आश्रय सरोज और मंजीत सिंह ने भी अपने बयानों में चार व्यक्तियों को हमलावर के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप में आरोपित किया है और उन्होंने कहा है कि जब वे मृतक राम खिलावन को बचाने आए तो उन्होंने उन पर भी हमला किया। घायल राम आश्रय सरोज ने कहा है कि घटना में उसके दाहिने हाथ की कलाई, कंधे और सिर पर भी चोट आई है जबकि राम आश्रय सरोज के शरीर पर केवल एक चोट पाई गई है जो दाहिने हाथ पर रक्तसावी सूजन के रूप में है और एक्स-रे आख्या में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। घायल मंजीत सिंह की चोट आख्या में उसके सिर पर एक चोट पाई गई जो घर्षण के रूप में थी और जो 2-3 दिन पुरानी थी।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों के साथ-साथ बाद में शामिल किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भी सामान्य आरोप लगाए गए हैं। अभिलेख पर इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया कि घटना दिनांक 07/02/2025 को होना कही गई है। चिकित्सीय आख्या केवल दो दिन बाद दिनांक 09/02/2025 को प्रस्तुत की गई जिससे घटना के संबंध में ही गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्षियों के बयानों में यह कहा गया है कि सह-अभियुक्त व्यक्ति नशे की अवस्था में थे।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी लगाए गए आरोप इंगित करते हैं कि घटना बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक घटित हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 9/12/2025 से जेल अभिरक्षा में है और मामले में विवेचना तथा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मृतक की पूरक चिकित्सीय आख्या की एक प्रति भी अभिलेख पर रखी गई है। मृतक की शव-परीक्षा आख्या में मृत्यु-पूर्व दो चोटें पाई गईं; (1) बाईं ओर की खोपड़ी पर 26 सेमी लंबा 26 टांकों वाला सिला हुआ घाव, (2) पेट के दाईं ओर 10 सेमी लंबा 10 टांकों वाला सिला हुआ घाव। तथापि उन चोटों के कारित किए जाने के संबंध में किसी साक्षी का कोई विशिष्ट कथन नहीं है और नामित अभियुक्त अंकित पटेल उर्फ गुलई सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों को सामान्य भूमिका दी गई है जिसकी संलिप्तता विवेचना के दौरान नहीं पाई गई।

12. उन्होंने यह भी कहा कि सह-अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् अजय कुमार वर्मा और जय सिंह पटेल जिनकी भूमिका घटना में समान थी, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा क्रमशः दांडिक अपील संख्या 904 वर्ष 2026 और दांडिक अपील संख्या 1259 वर्ष 2026 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध पारित दिनांक 15/5/2026 और 27/5/2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए अपील का विरोध किया कि अपीलकर्ता का नाम दोनों चशमदीद साक्षियों अर्थात् परिवादी तथा उक्त मंजीत सिंह द्वारा विशिष्ट रूप से इंगित किया गया है जिन्होंने हमले में उसकी भूमिका को विशिष्ट रूप से इंगित किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि लगी हुई चोटों के कारण उक्त राम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खिलावन की बाद में मृत्यु हो गई। उसकी शव-परीक्षा आख्या स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के कारण आघात इंगित करती है।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन पर इस स्तर पर मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना और विचारण में साक्ष्य के अधीन यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच अचानक झगड़ा हो गया जिसके कारण मारपीट हुई और तत्पश्चात् उक्त राम खिलावन की मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद या दो दिन बाद मृतक को कोई चिकित्सीय उपचार प्रदान किया गया था या नहीं यह पहलू विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के माध्यम से परीक्षित किया जाना अपेक्षित होगा। आरोप किसी जाति-आधारित पहलू को भी इंगित नहीं करते विशेष रूप से यह कि हमला जाति-आधारित होने के कारण किया गया था और इस पहलू पर भी विचार किया जाना अपेक्षित होगा। अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष है और पूर्व आपराधिक इतिहास के बिना दिनांक 23.12.2025 से अभिरक्षा में है।

15. उपर्युक्त जो कुछ कहा गया है उसके दृष्टिगत मेरा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

16. तदनुसार अपील **स्वीकार** की जाती है और दिनांक 27.02.2026 का आदेश अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

17. अपीलकर्ता/आवेदक-अभिजीत वर्मा उर्फ अंबुज जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है को निम्नलिखित शर्तों के साथ जो न्यायहित में अधिरोपित की जा रही हैं संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।
- (iii) अपीलकर्ता/आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तब साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।
- (v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 229-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडप्रसंकी धारा 82 (अब बीएनएसएस की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलकर्ता/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

18. लंबित आवेदन यदि कोई हों तो उनका भी निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

17 जून 2026

डीके/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।